भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 225

उत्तर देने की तारीख: 16.12.2025

राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग

***225 श्री जयंत बसुमतारी:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति आयोग (डीएनटी), अधिसूचित जनजाति (एनटी) और अर्ध-घुमंतू जनजाति (एसएनटी) आयोग की सिफारिशों को लागू करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उन डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदायों को वर्गीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिन्हें अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के सभी राज्यों ने डीएनटी, एनटी और एसएनटी के लिए जिला स्तरीय शिकायत समितियों का गठन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2022 में शुरू की गई डीएनटी की आर्थिक सशक्तिकरण योजना (एसईईडी) के अंतर्गत वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई है और इसके लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *225, जिसका उत्तर दिनांक 16.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने फरवरी, 2019 में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इसके अलावा, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड) आरंभ की गई है और इसका कार्यान्वयन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

(ग): भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को अगले जनगणना में डीएनटी समुदायों को भी शामिल करने के लिए संदर्भित किया गया है।

(घ): जी, नहीं।

(ङ): विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15.00 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35.16 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15.00 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिसमें आजीविका घटक के अंतर्गत 61,419 लाभार्थी, निःशुल्क कोचिंग घटक के अंतर्गत 3665 लाभार्थी तथा स्वास्थ्य बीमा घटक के अंतर्गत 50,287 लाभार्थी शामिल किए गए हैं।

*****